

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)


अमरसिंह

बनाम

श्रीमत्प्रसाद

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

19.6/2025  
208

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p><u>29.5.25</u></p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>अमरसिंह</u></p> <p>पिता श्री <u>स्व. उन्हेंमालाल दरोगा</u></p> <p>निवासी <u>बखली</u> <u>10R</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>नेगडियाखुर्द</u> <u>प.ह. कोसुणी</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>201, 202, 203</u></p> <p>कुल कीता <u>03</u> कुल रकबा <u>1.34</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>नेगडियाखुर्द (कोसुणी)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>201, 202, 203</u></p> <p>कुल कीता <u>03</u> रकबा <u>1.34</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार मात्र</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> (जी. नू. वेरमा) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>